



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 110]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 13, 2001/फाल्गुन 22, 1922

No. 110]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 13, 2001/PHALGUNA 22, 1922

भारतीय रिजर्व बैंक

(विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 26 दिसम्बर, 2000

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गमन) किसी निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति (संशोधन) विनियमावली, 2000

सा.का.नि. 175(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 3 मई, 2000 की उसकी अधिसूचना सं. फेमा 20/2000 आर बी में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गमन) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. (1) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर किसी निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गमन) (संशोधन) विनियमावली, 2000 कहा जायेगा।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन पर लागू होंगे।

विनियमों में संशोधन

2. विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गमन) विनियमावली, 2000 (इसके पश्चात् "मुख्य विनियमों" के रूप में उल्लिखित)

(1) विनियमावली 2 में,

(1) खंड (iii) के बाद निम्नलिखित खंड जोड़ा जाये; यथा :—

“(iii ए) 'विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक' से अभिप्रेत है, कोई निवेशक जो भारत के बाहर निगमित और स्थापित है और भारत में उद्यम पूंजी निधि (निधियों) अथवा उद्यम पूंजी उपक्रम (उपक्रमों) में निवेश करने का प्रस्ताव करता है और सेबी विनियममाली, 2000” (विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक) के अधीन सेबी के साथ पंजीकृत है।

(ii) खंड (v) के बाद निम्नलिखित खंड जोड़ा जाये, यथा :—

“(वी ए) भारतीय उद्यम पूंजी उपक्रम का अभिप्रेत वह कंपनी जो भारत में निगमित है और उसके शेयर्स भारत के मान्यताप्राप्त शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं हैं और जो सेबी द्वारा निर्दिष्ट नकारात्मक सूची के अंतर्गत किसी गतिविधि में लिप्त नहीं है”,

(iii) खंड (xi) के बाद निम्नलिखित खंड जोड़ा जाये, यथा :—

“(xi ए) 'उद्यम पूंजी निधि' का अभिप्रेत वह निधि जो न्यास के रूप में स्थापित है वह कंपनी जिसमें निकाय कंपनी शामिल है और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (उद्यम पूंजीगत निधि) के अधीन पंजीकृत है जिसके पास उक्त विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट तरीके से पूंजी जुटाने का समर्पित निकाय है और जो उक्त विनियमों के अनुसार उद्यम पूंजी उपक्रमों में निवेश करता है।”

2. विनियम 5, में उप विनियम (4), के बाद निम्नलिखित उप विनियम जोड़ा जाये, यथा :—

“(5) सेबी के साथ पंजीकृत विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक उद्यम पूंजी निधि में और भारतीय उद्यम पूंजी उपक्रम में अनुसूची 6 में विनिर्दिष्ट तरीके से और शर्तों के अधीन निवेश करेगा :—

नयी सूची में जोड़

3. अनुसूची 5 के बाद, मुख्य विनियमों में निम्नलिखित अनुसूची जोड़ा जाये, यथा :—

“अधिसूची 6”

[देखें विनियम 5(5)]

पंजीकृत विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक द्वारा भारतीय उद्यम पूंजी उपक्रम में निवेश

1. विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक द्वारा निवेश

- (1) पंजीकृत विदेशी उद्यम निवेशक (एफ.वी.सी.आई) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक को भारतीय उद्यम पूंजी उपक्रम (आईवीसीयू) में अथवा संयुक्त पूंजी निधि में अथवा ऐसे संयुक्त पूंजी निधियों द्वारा निगमित किसी योजना में निवेश करने के लिए अनुमति हेतु आवेदन करेगा। अनुमति रिजर्व बैंक द्वारा आवश्यक समझे जाने वाली शर्तों के अधीन प्रदान की जायेगी।
2. रिजर्व बैंक द्वारा उप पैरा (1), के अधीन अनुमत पंजीकृत विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक ईक्विटी/ईक्विटी सहबद्ध लिखतों / ऋण/ऋण लिखतों प्रारंभिक जन प्रस्ताव अथवा निजी नियोजन के जरिए किसी भारतीय उद्यम पूंजी उपक्रम अथवा किसी उद्यम पूंजी निधि अथवा किसी संयुक्त पूंजी निधि द्वारा स्थापित योजनाओं के/निधियों के ईकाई में डिबेंचर खरीद सकेगा।
3. उद्यम पूंजी निधियों/भारतीय उद्यम पूंजी उपक्रमों में निवेश के लिए प्रतिफल की राशि सामान्य बैंकिंग चैनलों के जरिए विदेश से आवक विप्रेषण अथवा पैरा 2 के अनुसार भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी के नामोद्दिष्ट शाखा के साथ रखे किसी खाते में धारित निधियों में से अदा की जानी चाहिए।
2. **भारतीय उद्यम पूंजी उपक्रमों/उद्यम पूंजी निधियों अथवा उद्यम पूंजी निधियों द्वारा स्थापित योजनाओं/निधियों में निवेश के लिए पंजीकृत विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक द्वारा खाता को बनाये रखना।**

भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक के आवेदन पर निम्नलिखित अनुमति योग्य लेनदेनों के साथ किसी प्राधिकृत व्यापारी के नामोद्दिष्ट शाखा के पास कोई विदेशी करेन्सी खाता और/अथवा कोई रुपया खाता खोलने के लिए अनुमति देगा जिसे सिद्धान्त रूप से सेबी से पंजीकरण प्राप्त है।

- (1) सामान्य बैंकिंग चैनलों अथवा निवेशकों के बिक्री आगमों (करों का निवल) के जरिए प्राप्त आवक विप्रेषण को जमा लिख देना।
- (ii) उक्त पैरा 1 के उपबंधों के अनुसार निवेश करना।
- (iii) विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक के विदेशी करेन्सी खाते से उनके स्वयं के रुपया खाते की ओर निधियों का अंतरण।
- (iv) विदेशी करेन्सी अथवा रुपया खातों से लागू करों के भुगतान के अधीन निधियों का विप्रेषण।

(v) विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक के स्थानीय व्यय को पूरा करना।

3. वायदा रक्षा

प्राधिकृत व्यापारी विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों को कुल आवक विप्रेषण की सीमा तक वायदा रक्षा प्रदान कर सकता है। यदि विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक ने कुछ निवेशों की बिक्री की है तो उन निवेशों की मूल लागत वायदा रक्षा सीमा में से घटा दी जायेगी।

4. निवेशों का मूल्यांकन

विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक भारतीय उद्यम पूंजी उपक्रमों अथवा उद्यम पूंजी निधियों अथवा उद्यम पूंजी निधियों द्वारा स्थापित योजनाओं/निधियों में उनके द्वारा धारित शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/ईकाईयों अथवा किसी अन्य निवेश उस दर पर जो खरीददार' और बिक्रेता/जारीकर्ता को पारस्परिक रूप से स्वीकृत हैं, खरीद अथवा अन्यथा बिक्री द्वारा अर्जित करेगा। विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक उद्यम पूंजी निधियों के समापन अथवा उद्यम पूंजी निधियों द्वारा पूंजी योजनाओं/निधियों से उत्पन्न होने वाले आगमों को भी प्राप्त कर सकेगा।

5. सेबी मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन करना

विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी किये गये संबंधित विनियमों/मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन करना होगा।

[सं. फेमा 32/2000-आर.बी.]

डी.पी. सारडा, कार्यपालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Control Department)

(Central Office)

NOTIFICATION

Mumbai, the 26th December, 2000

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India)
(Amendment) Regulations, 2000

G.S.R. 175(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), and in partial modification of its notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May, 2000, the Reserve Bank of India makes the following Regulations to amend the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000, namely:-

Short title and commencement:-

1. (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Amendment) Regulations, 2000.

(ii) They shall come into force on their publication in the Official Gazette.

Amendment of the Regulations

2. In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 (hereinafter referred to as “the Principal Regulations”),

(1) in Regulation 2,

(i) after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely:-

“(iiia) ‘Foreign Venture Capital Investor’ means an investor incorporated and established outside India which proposes to make investment in Venture Capital Fund(s) or Venture Capital Undertaking(s) in India and is registered with SEBI under SEBI (Foreign Venture Capital Investors) Regulations, 2000;”

(ii) after clause (v), the following clause shall be inserted, namely:-

“(va) ‘Indian Venture Capital Undertaking’ means a company incorporated in India whose shares are not listed on a recognized stock exchange in India and which is not engaged in an activity under the negative list specified by SEBI;”

(iii) after clause (xi), the following clause shall be inserted, namely:-

“(xia) ‘Venture Capital Fund’ means a fund established in the form of a trust, a company including a body corporate and registered under the Securities and Exchange Board of India (Venture Capital Fund) Regulations, 1996 which has a dedicated pool of capital raised in a manner specified under the said Regulations and which invests in venture Capital Undertakings in accordance with the said Regulations;”

(2) in Regulation 5, after sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be added, namely:-

“(5) A Foreign Venture Capital Investor registered with SEBI may make investment in a Venture Capital Fund or an Indian Venture Capital Undertaking, in the manner and subject to the terms and conditions specified in Schedule 6.”

Addition of new Schedule

3. In the Principal Regulations, after Schedule 5, the following Schedule shall be added, namely: -

“SCHEDULE 6

[See Regulation 5 (5)]

Investment in an Indian Venture Capital Undertaking by a registered Foreign Venture Capital Investor

1. Investment by Foreign Venture Capital Investor.

- (1) A registered Foreign Venture Capital Investor (FVCI) may, through the Securities and Exchange Board of India, apply to the Reserve Bank for permission to invest in Indian Venture Capital Undertaking (IVCU) or in a VCF or in a scheme floated by such VCFs. Permission may be granted by Reserve Bank subject to such terms and conditions as may be considered necessary
- (2) The registered FVCI permitted by Reserve Bank under sub-paragraph (1), may purchase equity / equity linked instruments/ debt / debt instruments, debentures of a IVCU or of a VCF through Initial Public Offer or Private Placement or in units of schemes/funds set up by a VCF.
- (3) The amount of consideration for investment in VCFs/IVCUs shall be paid out of inward remittance from abroad through normal banking channels or out of funds held in an account maintained with the designated branch of an authorised dealer in India in accordance with Para 2.

2. Maintenance of account by the registered FVCI for investment in IVCUs/ VCFs or schemes/funds set up by the VCFs.

The Reserve Bank may, on application, permit a FVCI which has received ‘in principle’ registration from SEBI to open a Foreign

Currency Account and/or a Rupee Account with a designated branch of an authorised dealer with the following permissible transactions :

- (i) Crediting inward remittance received through normal banking channels or the sale proceeds (net of taxes) of investments.
- (ii) Making investment in accordance with the provisions of paragraph 1 above.
- (iii) Transferring funds from the Foreign Currency Account of the FVCI to their own Rupee account.
- (iv) Remitting funds from the Foreign Currency or rupee account subject to payment of applicable taxes.
- (v) Meeting local expenses of the FVCI.

3. Forward Cover:

Authorised Dealers may offer forward cover to FVCIs to the extent of total inward remittance. In case the FVCI has made any remittance by liquidating some investments, original cost of the investments will be deducted from the eligible cover.

4. Valuation of Investments

The FVCI may acquire by purchase or otherwise or sell shares/convertible debentures/units or any other investment held by it in the IVCUs or VCFs or schemes /funds set up by the VCFs at a price that is mutually acceptable to the buyer and the seller/issuer. The FVCI may also receive the proceeds arising of the liquidation of VCFs or schemes /funds set up by the VCFs

5. Adherence to SEBI Guidelines

FVCIs shall abide by the relevant regulations/guidelines issued by Securities and Exchange Board

[No. FEMA 32/2000-RB]

D P. SARDA, Executive Director